


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय/कार्यालय में (कॉलम संख्या-05 में उल्लेखितानुसार) प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष के पद पर एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र.सं	नाम कार्मिक सर्व सर्वश्री/श्रीमती	कहाँ से राउमावि	जिला	कहाँ को राउमावि	जिला
1	JAGADISH CHANDRA SAGAWADIYA	GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL BADWAS CHHOTI	BANSWARA	G.SEN.SEC. SCHOOL SAGTALAI (08280305107)	BANSWARA
2	KISHAN SINGH	GOVT SR SEC.SCHOOL BADIPADAL to AADARSH G.SR.SEC.S.DARIYATI, CHIKHALI (08270601102) under transfer	DUNGARPUR	GOVT SR SEC.SCHOOL BADIPADAL	BANSWARA
3	RANCHOD PATIDAR	G.SR.SEC.SCHOOL LORDA to G.SR SEC.S JHAJHARVA KALA, GANGADTALAI under transfer	BANSWARA	G.SR.SEC.SCHOOL LORDA	BANSWARA

जिन कार्मिकों के कॉलम संख्या-05 में नवीन पदस्थापन स्थान के साथ अंकित तिथि से मान्य (WEF)का अंकन किया गया है उनके अतिरिक्त शेष स्थानान्तरित कार्मिक दिनांक 05.06.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। आर.वी.आर.ई.एस. (RVRES) के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को शहरीक्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक कार्यमुक्ति से अपना नाम एवं पद सहित सम्पूर्ण विवरण की पुष्टि शाला दर्पण पर तत्काल अपलोड करें। लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे संस्था प्रधानों को कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति से पूर्व निदेशालय की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। जिन कार्मिकों को डाईट/एस.आई.ई.आर.टी. तथा आई.ए.एस.ई. में पदस्थापित किया गया है, उक्त कार्मिकों को एम.एड. योग्यता होने पर ही कार्यग्रहण करावें, अन्यथा स्थिति में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से अवगत करावें। यदि किसी संस्था प्रधान का पदस्थापन माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त, विधवा तथा दिव्यांग के विरुद्ध हो गया है तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावे। सम्बन्धित संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शाला दर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं प्रधानाचार्य के कार्यग्रहण करते ही पूर्व में पदविरुद्ध कार्यरत प्रधानाध्यापक अपनी उपस्थिति कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में दें।



(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्था./2018

दिनांक 31.05.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय।
- 5 संबंधित प्रधानाचार्य, राज. उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डाईट)।
- 6 सम्बन्धित संस्था प्रधान।
- 7 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 9 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाध्यापक-मावि० के स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेशांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ-स्था/2018 दिनांक 18-05-2018 द्वारा श्रीमती सुमन, प्र०अ० रामावि० आकवा-सीकर का स्थानान्तरण किया जाकर इन्हें रामावि बालिका गोठडा भूकरान जिला सीकर पदस्थापित किया गया था। श्रीमती सुमन विधवा श्रेणी की कार्मिक होने के आधार पर इनके सन्दर्भ में विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 18-05-2018 को श्रीमती सुमन की हद तक एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाकर इन्हे प्रधानाध्यापिका-मावि० के रूप में रामावि० आकवा जिला सीकर में यथावत कार्यरत रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विभाग के आदेश दिनांक 18-05-2018 से ही श्रीमती सुमन के स्थान पर पदस्थापित श्री महेन्द्र कृष्णियां, प्र०अ० का स्थानान्तरण आदेश भी श्री महेन्द्र कृष्णियां की हद तक प्रत्याहरित किया जाता है। श्री कृष्णियां द्वारा यदि नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया हो तो भी वह तत्काल कार्यमुक्त होंगे।

श्री महेन्द्र कृष्णियां, प्र०अ० का पदस्थापन संशोधित किया जाकर एतद् द्वारा इन्हे रा० बालिका मावि० गोठडा-भूकरान जिला सीकर में प्रधानाध्यापक-मावि के रूप में पदस्थापित किया जाता है। नव पदस्थापित स्थान पर सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक 05-06-2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। प्रकरण में दोनों सम्बन्धित कार्मिकों की शाला-दर्पण के माध्यम से ही कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।



(नथमल डिडेल)

आई ए एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

दि०. 31-05-18

क्रमांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/प्रअ-स्था/2018/संशोधन  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपशासन, सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा-प्रथम सीकर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच करते हुए श्री महेन्द्र कृष्णिया प्रधानाध्यापक के विरुद्ध 17 सीसीए में कार्यवाही प्रस्तावित करावे।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शाला-दर्पण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्रांज भी आवश्यक रूप से करें।
6. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका हेतु।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर